पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-802
दिनांक 09.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- बंथरा

- **दहेज हत्यारोपी 02 शातिर वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना बंथरा पुलिस की कार्यवाही।**

कार्यवाही विवरण-

दिनांक 04.04.25 को ग्राम मवई पड़ियाना थाना बंथरा लखनऊ के ग्राम प्रधान के घर पर ससुरालीजन द्वारा मिलकर वादी मुकदमा कालिका प्रसाद पुत्र राम चरन निवासी ग्राम रमपुरवा भटौली थाना कासिमपुर बेहन्दर जिला हरदोई की पुत्री की दहेज मांगने की बात को लेकर मारपीट कर हत्याकारित करने के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बंथरा लखनऊ पर मु0अ0सं0 151/2025 धारा 80(2)/85/351(3) बीएनएस बनाम संदीप आदि कुल 05 नफर के पंजीकृत हुआ।

जिसकी विवेचना श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर महोदय द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में प्राप्त हुकुम तहरीरी के अनुपालन में बंथरा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 09.04.25 को अभि0गण के घर के बाहर ग्राम मवई पड़ियाना से अभि0गण रामप्रकाश (प्रधान पति) पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम मवई पडियाना थाना बन्थरा जनपद लखनऊ उम्र 55 वर्ष व उसकी पत्नी (ग्राम प्रधान) उम्र 52 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

अभि0 राम प्रकाश द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरी पत्नी इस पंचवर्षीय से ग्राम मवई पड़ियाना की ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई थी । मेरे बेटे संदीप की पहली शादी वर्ष 2021 में हुई थी लेकिन संदीप के मानसिक रूप से डिस्टर्व होने के कारण पहली शादी टूट गयी थी । वह शादी के महज 5 दिन बाद ही चली गयी थी मेरे बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नही थी इसलिए हम लोग संदीप की दूसरी शादी नही करना चाहते थे ।

मेरी पत्नी के दादी के भतीजे के लड़के के दूर की रिश्तेदारी में थे, रिश्तेदारी के दबाव के चलते मैने दोबारा शादी करा दी । मेरे बेटे संदीप की दूसरी शादी दिनाँक 10.03.2024 को हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी । लड़की के घर वालों ने एक मोटरसाइकिल स्वेच्छा से दहेज में दिया था । संदीप व उसकी पत्नी में अक्सर बातचीत होती रहती थी । परन्तु मैने ऐसा कभी नही सोचा था कि संदीप उसको मार देगा ।

घटना वाले दिन जब हमने दरवाजा खुलवाया तो संदीप निकल कर मोटरसाइकिल से भाग गया और कमरे के अन्दर जाकर देखा तो बहू कमरे के अन्दर मरी हुई पड़ी थी । फिर मैने चिल्ला कर गाँव वालों को बुलाया पुलिस को सूचना दिया । गाँव के माध्यम से बहू के मायके वालों को सूचना भिजवाया तो गाँव के लोग इकट्ठा हो गये थे फिर थोड़ी ही देर बाद पुलिस आ गयी थी । जब घटना हुई थी तो उस समय मेरे बेटे उत्कर्ष व कुलदीप घर पर नही थे ।

अपराध का तरीका

दिनांक 04.04.25 को ग्राम मवई पड़ियाना थाना बंथरा लखनऊ के ग्राम प्रधान के घर पर ससुरालीजन द्वारा मिलकर वादी मुकदमा कालिका प्रसाद पुत्र राम चरन निवासी ग्राम रमपुरवा भटौली थाना कासिमपुर बेहन्दर जिला हरदोई की पुत्री उम्र करीब 22 वर्ष की दहेज मांगने की बात को लेकर मारपीट कर हत्या कारित करना

पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 151/2025 धारा 80(2)/85/351(3) बीएनएस थाना बंथरा लखनऊ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय:-

01-रामप्रकाश पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम मवई पडियाना थाना बन्थरा जनपद लखनऊ उम्र 55 वर्ष (प्रधान पति)

02-सीमा रानी पत्नी राम प्रकाश निवासिनी ग्राम मवई पड़ियाना थाना बन्थरा लखनऊ उम्र 52 वर्ष (ग्राम प्रधान)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शिव प्रकाश
2. उ0नि0 अभय कुमार गुप्ता
3. का0 देवेन्द्र कुमार
4. म0का0 रामा गुड़िया

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-803
दिनांक–09-04-2025

जोन पूर्वी /थाना गोमतीनगर विस्तार

- जनेश्वर मिश्र पार्क जी20 अण्डरपास के पास चार पहिया वाहनों से स्टंटबाजी करने वालों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
- 03 चार पहिया वाहन को सीज करते हुये हुल्लड़बाजी, अनाधिकृत हुटर व सड़क पर केक काटने वाले नये उम्र के लड़को को दी गयी सख्त हिदायत।
- थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम की कार्यवाही।

कार्यवाही: –

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय लखनऊ व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एंव व्यवस्था लखनऊ के आदेश-निर्देशों के अनुपालन में चलाये गये अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त पूर्वी व अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी व सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर के पर्यवेक्षण व श्रीमान प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर विस्तार के निर्देशों के अनुसार दौराने रात्रि गश्त थाना गोमती नगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा जनेश्वर मिश्र पार्क G20 अण्डरपास के करीब गोमतीनगर विस्तार में बीच सड़क पर बेतरतीव तरीके से गाडी खड़ीकर हुल्लड़बाजी करने व गाडियों में लगे अनाधिकृत हूटर का प्रयोग करने व केक काटने वालों के विरूद्ध आज दिनाँक 09/04/2025 को समय सुबह करीब 03.30 बजे कार्यवाही करते हुए थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा 03 चार पहिया वाहन सीज किया गया है।

सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में गाडियों का विवरण-

1. UP32CV7266 (HONDA CITY)
2. UP32ML5124 (MARUTI SWIFT)
3. UP32PL8440 (MARUTI ERTIGA)

उक्त अभियान में चेकिंग में लगी पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 श्री संदीप ठाकुर थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री हेमंत कुमार कश्यप थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री मेराजुद्दीन थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री मो0 शोएब अंसारी थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
5. उ0नि0 श्री सत्यम गुप्ता थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
6. आरक्षी अनुराग यादव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
7. आरक्षी अनिल यादव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
8. आरक्षी बृजेश थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
9. आरक्षी गुरूचन्द्र थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-804
दिनांक-09.04.2025

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त लोहे की राड बरामद**
- **थाना महानगर पुलिस की कार्यवाही ।**

01.संक्षिप्त विवरण–

मजरूब पप्पू गौतम जो बैटरी रिक्शा चलाता है । दिनांक 08.04.25 को पप्पू गौतम फातिमा के पास पान की गुमटी पर खड़ा था जहां पर अभियुक्त अर्जुन गौतम लडाई झगडा करने लगा व गाली गलौज करते हुए अभियुक्त अर्जुन गौतम ने जान से मारने की नियत लोहे की राड से पप्पू गौतम के सिर पर जोरदार वार कर दिया। जिससे मजरूब पप्पू गौतम गम्भीर रूप से घायल हो गया ।

मजरूब का इलाज के0जी0एम0यू0 लखनऊ में चल रहा है। उक्त घटना के सम्बन्ध में मजरूब पप्पू गौतम के परिजनो द्वारा दि0 08.04.25 को थाना महानगर पर मु0अ0सं0 78/25 धारा 109 बीएनएस बनाम अर्जुन गौतम पंजीकृत किया गया ।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अर्जुन गौतम पुत्र स्व0 श्री कृष्ण गौतम निवासी सेक्टर एच गोडियन पुरवा थाना जानकीपुरम लखनऊ को थाना महानगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.04.2025 को मजार तिराहा के पास थाना महानगर लखनऊ से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त अर्जुन गौतम की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की राड को बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त अर्जुन गौतम फातिमा रेलवे क्रासिंग के पास पान की गुमटी चलाता है। अभियुक्त द्वारा मजरूब पप्पू गौतम के सिर पर लोहो की राड से जान से मारने की नियत से जोरदार वार कर दिया जिससे पप्पू गौतम गम्भीर रूप से घायल हो गया।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अर्जुन गौतम को महानगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिसके विरूद्द आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

(1) अर्जुन गौतम पुत्र स्व0 श्री कृष्ण गौतम निवासी सेक्टर एच गोडियन पुरवा थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग

(1) मु0अ0सं0 78/25 धारा 109 बीएनएस थाना महानगर लखनऊ।

05- बरामदगी

(1) घटना में प्रयुक्त एक लोहे की राड

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

01-उ0नि0 शिवम दीक्षित थाना महानगर लखनऊ

02-का0 सुभम मिश्रा थाना महानगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-801
दिनांक-09.04.2025

जोन- उत्तरी/थाना- सैरपुर

लिफ्ट देने के बहाने के कार में बैठाकर मारपीट, गाली गलौज करते हुये लूटपाट की घटना का किया गया सफल अनावरण।

- **घटना में शामिल 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**
- **दिनांक 05/04/2025 को समय करीब 22.15 बजे सेवाकट के पास खड़े व्यक्ति को कार में लिफ्ट देकर काकोरी से पहले ले जाकर मारपीट करते हुये की गयी थी लूट की घटना।**
- **घटना में प्रयुक्त कार (स्विफ्ट डिजायर) को किया गया बरामद।**
- **थाना सैरपुर व क्राइम टीम उत्तरी की संयुक्त टीम सफलता ।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05.04.2025 को वादी मुकदमा श्री अनुज कुमार पुत्र राम नरेश नि० बिजुवामऊ थाना सिधौली जनपद सीतापुर ने थाना स्थानीय पर एक लिखित तहरीर दी कि कार सवार 04 अज्ञात लोगों ने वादी को सेवा हॉस्पिटल थाना सैरपुर क्षेत्र से सिधौली छोड़ने के बहाने लिफ्ट देकर कार में बैठा लिया। इसके बाद किसान पथ पर काकोरी से पहले गाड़ी के दरवाजे लॉक कर वादी मुकदमा के साथ उक्त कार सवारों द्वारा मारपीट व गाली गलौज करते हुए वादी का मोबाइल फोन व पैसे छीन लिये गये एवं जबरन वादी के मोबाइल का लॉक खुलवाकर गूगल पे के माध्यम से 6,000/- रू ट्रांसफर करा लिए गए।

पीड़ित द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 37/25 धारा 309 (6)/127(2)/352/351(2) बीएनएस बनाम कार सवार 04 अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। पुलिस उपायुक्त उत्तरी महोदय द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये घटना के त्वरित अनावरण हेतु 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 09/04/2025 को क्राइम टीम उत्तरी व थाना सैरपुर की संयुक्त पुलिस टीम घटना के अनावरण हेतु माल मुल्जमान की तलाश व पतारसी सुरागरसी में मामूर थी कि जरिये मुखबिरखास सूचना मिली कि जो लूट की घटना हुयी है उससे संबंधित 02 अभियुक्त रैथा अंडर पास किसान पथ पर सीतापुर की तरफ जाने की फिराक में हैं। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा रैथा अंडर पास किसान पथ के पास से 02 संधिग्त व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेते हुये कड़ाई से पूछताछ किया गया तो पकड़े गये अभियुक्तों ने क्रमशः अपना नाम 01-अयान पुत्र गफूर नि0- बसरैला थाना काकोरी लखनऊ उम्र 21 वर्ष 02-रवि शुक्ला पुत्र मनोज शुक्ला नि0 पचकोहरा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर हाल पता सरफराजगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र लगभग 22 वर्ष बताया।

हिरासत में लिये गये अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि कि साहब हम सभी एक व्यक्ति को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाकर उसके पैसे व मोबाइल फोन को लूट लिया था। लूटे गए पैसों में से 01-01 हजार रू0 मिले थे जो पार्टी करने में खर्च हो गए व लूटा गया मोबाइल फोन हमारे अन्य साथी अमन यादव के पास है।

अभि०गण के कब्जे से लूटे गए पैसों में से अयान के पास से 520/- रू व रवि के पास से 300/- रू बरामद हुए। पुलिस टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त कार स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग को पूर्व में ही मुखबिर खास की द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर बरामद कर लिया गया था। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। हिरासत में लिए गये अभियुक्तों ने कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोगों के साथ घटना कारित करने में 01-अमन यादव 02-सूजीत यादव पुत्रगण राम लखन यादव नि0गण ग्राम भगमतखेड़ा बसरैला थाना काकोरी जिला लखनऊ व 03-हिमांशु शुक्ला पुत्र रोहित शुक्ला नि0 पचकोहरा, थाना कमलापुर जिला सीतापुर भी शामिल थे।

घटना में कुल 05 अभि0 प्रकाश में आने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 310 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को उनके द्वारा किये गये अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रकाश आये उपरोक्त अभियुक्तों की शीर्घ ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों के अन्य अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02- अपराध का तरीका:-

वाहन में लोगों को लिफ्ट देकर सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट कर लूटपाट करना

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01-अयान पुत्र गफूर नि0- बसरैला थाना काकोरी लखनऊ उम्र 21 वर्ष

02-रवि शुक्ला पुत्र मनोज शुक्ला नि0 पचकोहरा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर हाल पता सरफराजगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र लगभग 22 वर्ष

04-बरामदगी:-

- कुल 820/- रू
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद कार SWIFT DZIRE रजि० नं0 UP32PN233 रंग सफेद

05-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 37/25 धारा धारा 310,127(2),352,351(2) BNS थाना सैरपुर, लखनऊ

पुलिस टीम थाना सैरपुर लखनऊ

1. थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार कोरी

2. उ0 नि0 श्री अनुज कुमार गुप्ता
3. उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह बालियान
4. उ0नि0 श्री मोनू कुमार
5. का0 राज विरेन्द्र यादव
6. का0 अरविन्द वर्मा

क्राइम टीम उत्तरी जोन

1. क्राइम /सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
2. हे0का0 संतोष कुमार सिंह
3. हे0का0 नदीम
4. हे0का0 अमित कुमार गौतम
5. हे0का0अवधेश गिरी
6. का0 विशेष दुहुण
7. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-806
दिनांक-09.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- सैरपुर

- **दहेज के लिए नव विवाहिता की हत्या करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **02 माह पूर्व ही हुई थी नव विवाहिता की शादी, की जा रही थी दहेज की माँग।**
- **दिनाँक 07.04.2025 को मृतका के पिता वादी मुकदमा द्वारा सूचना दी गयी थी कि उसकी पुत्री के पति व ससुरालीजन निवासीगण दुग्गौर द्वारा दहेज के लिए किये पुत्री उपासना सिंह उम्र 27 वर्ष की कर दी गयी हत्या।**
- **घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय बी0के0टी0 के निर्देशन में थाना सैरपुर पुलिस को मिली सफलता 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.04.2025 को वादी मुकदमा श्री कृष्ण कुमार सिंह पुत्र स्व0 हनुमान सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट व थाना अतरौली जनपद हरदोई द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित आकर सूचना दी गयी कि मैं अपनी पुत्री उपासना सिंह की शादी दिनाँक 18.02.2025 को धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अभय प्रताप सिंह पुत्र रामकरन सिंह निवासी ग्राम दुग्गौर थाना सैरपुर जनपद लखनऊ के साथ किया था मेरे पुत्री के ससुरालीजन मेरी पुत्री उपासना सिंह उम्र करीब 27 वर्ष से अतिरिक्त दहेज की माँग करते हुए शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित करते हुए मेरी पुत्री उपासना सिंह उपरोक्त की हत्या कर दिये है।

वादी मुकदमा के द्वारा उपलब्ध करायी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 38/2025 धारा 80(2)/85 बी0एन0एस0 व ¾ डी0पी0 एक्ट बनाम (1) पति अभय प्रताप सिंह पुत्र रामकरन सिंह (2) जेठ आशीष प्रताप सिंह उर्फ अंशु सिंह पुत्र राम करन सिंह (3) जेठानी सोनम सिंह पत्नी अंशु सिंह (4) ससुर राम करन सिंह पुत्र जगदम्बा सिंह निवासीगण ग्राम दुग्गौर थाना सैरपुर जनपद लखनऊ (5) ममिया ससुर संजीव सिंह पुत्र अज्ञात व आदि लोग नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर नामित अभियुक्तगण की तलाश श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय बी0के0टी0 के दिशा निर्देश में की जा रही थी।

आज दिनांक 09.04.2025 को थाना सैरपुर पुलिस टीम द्वारा घटना में सम्मिलित नामित अभियुक्तगण की तलाश पतारसी सुरागरसी में मामूर थी कि जरिये मुखबिरखास सूचना मिली कि ग्राम दुग्गौर में नव विवाहिता की हत्या करने वाले ससुरालीजन में से उसका पति व ससुर ग्राम दुग्गौर के बाहर भारत गैस एजेन्सी के पास कही जाने की फिराक में खड़े है।

इस सूचना पर पुलिस टीम मुखिबर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंची तो पुलिस बल द्वारा दोनो व्यक्तियो को एक बारगी दबिश देकर घेर कर पुलिस हिरासत में लेकर नाम पता पूछा गया तो दोनो व्यक्तियो में अपना नाम क्रमश:

(1) अभय प्रताप सिंह पुत्र रामकरन सिंह निवासी ग्राम दुग्गौर थाना सैरपुर जनपद लखनऊ उम्र 27 वर्ष

(2) राम करन पुत्र स्व0 जगदम्बा सिंह निवासी ग्राम दुग्गौर पोस्ट बौरुमऊ थाना सैरपुर जनपद लखनऊ उम्र 50 वर्ष बताया

उपरोक्त अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताते हुये जुर्म धारा से अवगत कराते हुये पुलिस हिरासत में लेकर विवेचक श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया। विधिक कार्यवाही को पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

02-अपराध का उद्देश्य:-

दहेज की मांग न पूरी होने के कारण हत्या।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

(1) अभय प्रताप सिंह पुत्र रामकरन सिंह निवासी ग्राम दुग्गौर थाना सैरपुर जनपद लखनऊ उम्र 27 वर्ष - व्यवसाय –खेती

(2) राम करन पुत्र स्व0 जगदम्बा सिंह निवासी ग्राम दुग्गौर पोस्ट बौरुमऊ थाना सैरपुर जनपद लखनऊ उम्र 50 वर्ष व्यवसाय –खेती

04-अनावरित अभियोग-

1.मु0अ0सं0 38/2025 धारा 80(2)/85 बी0एन0एस0 थाना सैरपुर लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री मोनू कुमार
2. का0 नवीन कुमार
3. का0 रवि भूषण कुमर
4. का0 सुनील कुमार